राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांकः– प. 11 (16) गृह–10/13 जयपुर, दिनांक 12/11/14

समस्त सहायक निदेशक अभियोजन,
राजस्थान।

विषयः– न्यायालय में आरोप पत्र पेश किये जाने से पूर्व आरोप पत्र की सुक्ष्मता से जांच/संवीक्षा करने के संबंध में।

संदर्भः–अतिरिक्त महानिदेश पुलिस(अपराध) राज. जयपुर के पत्र दिनांक 16.12.13 व 14.02.14 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ सहायक लोक अभियोजक प्रथम/द्वितीय को निर्देशित करे कि न्यायालय में आरोप पत्र पेश किये जाने से पूर्व आरोप पत्र की सुक्ष्मता से जांच/संवीक्षा करे।

उपरोक्तानुसार।

(राजेन्द्र सिंह चौधरी)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं सयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपिः– निदेशक अभियोजन, राज. जयपुर।

12/11/14
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह
एवं संयुक्त विधि परामर्शी

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–व–15 (3) अप.शा./विधि/2013/ 10707-57 दिनांक : 16.12.13

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान मय रेल्वेज जयपुर।
3. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक राजस्थान मय रेल्वे अजमेर/जोधपुर।

विषय :– आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक के मार्फत पेश करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप–10) विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.11(16)गृह–10/2013 दिनांक 02.12.2013 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि अभियोजन अधिकारियों को इस परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि "वे पलिस द्वारा अनसंधान के उपरान्त न्यायालय में आरोप पत्र पेश करें। अभियोजन अधिकारी आरोप पत्र पेश किए जाने से पूर्व आरोप पत्र की Thoroughly Scrutiny (सुक्ष्मता से जांच/संविक्षा) करे एवं यह देखे कि मुलजिम पर प्रस्तावित आरोप सिद्ध किए जाने हेतु सभी दस्तावेज या अन्य सुसंगत साक्ष्य आरोप पत्र के साथ संलग्न है।"

अतः सभी थानाधिकारियों को पाबन्द करें कि वे आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक के मार्फत पेश करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16.12.13

(सवाई सिंह)
पुलिस अधीक्षक,
(अन्वेषण)
सी.आई.डी. (सी.बी.), राज., जयपुर।